

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 04 अप्रैल, 2018

विषय :-

उपसा द्वारा पुखरायों-घाटमपुर-बिन्दकी मार्ग (एस०एच०-46) के चौड़ीकरण हेतु कानपुर देहात में किमी० 0 से 21.00 तक 20.631 हे० संरक्षित वनभूमि व उस पर अवस्थित 2026 वृक्षों के पातन कानपुर नगर में किमी 22.000 से 54.000 तक 29.586 हे० संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 2889 वृक्षों के पातन एवं फतेहपुर में किमी० 55.000 से 82.220 तक 25.3065 हे० संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 6743 वृक्षों के पातन कुल 75.5235 हे० वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 11658 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

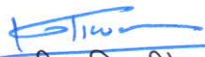
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या-8बी/यूपी/06/44/2017/एफसी/141 दिनांक 14.08.2017 तथा दिनांक 09.01.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गई कतिपय आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-2160/समेकित मार्ग/17826/2016 दिनांक 15.01.2018 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 02 प्रतियों में शासन को उपलब्ध करायी गई है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 15.01.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की एक प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-पी-08(1)/14-2-2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।